एम्प्लोयीस् स्टेट् इन्षुरन्स् कोर्प्परेषन् — എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ
(തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Government of India)
മോഡൽ & സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി
ആശ്രാമം, കൊല്ലം, കേരളം - 691 002
मॉडल एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
आश्रामम, कोल्लम, केरल - 691 002
MODEL & SUPER SPECIALITY HOSPITAL
ASRAMAM, KOLLAM, KERALA – 691 002
Ph:- 0474– 2742833, 2766618 (M.S) Website:- www.esic.nic.in
E-mail:- mh-ashramam@esic.nic.in, ms-asramam.ke@esic.nic.in

सं-542/ए/17/4/2024/रा.भा दिनांक 12.06.2024

# परिपत्र/Circular

**विषय : सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना।**
**Subject : Incentive scheme for Original Hindi Noting and Drafting in official works.**

भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई मूल हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना क.रा.बी.निगम में भी लागू है। यह योजना वित्त वर्ष पर आधारित है। “क” व “ख” क्षेत्र मेंटिप्पण एवं आलेखन में वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 20000(बीस हजार) हिंदी शब्द लिखने वाले अधिकारी/कर्मचारी तथा “ग” क्षेत्र में टिप्पण एवं आलेखन में वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 10000 (दस हजार) हिंदी शब्द लिखने वाले अधिकारी/कर्मचारीइस योजना के अन्तर्गत आवेदन के लिए पात्र हैं। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक निगम इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित 10 पुरस्कारों का प्रावधान है-

Incentive scheme for Original Hindi Noting and Drafting in official works initiated by Government of India is also applicable in E.S.I. Corporation. This scheme is based on financial year.Officers/employees who write minimum 20000 (twenty thousand) Hindi words in region “A” and “B” during the financial year and Officers/employees who write minimum 10000 (ten thousand) Hindi words in region “C” during the financial yearare eligible to apply under thisscheme. There is a provision of following 10 prizes for the officers/employees of each corporation unit under the scheme -

| क्र.सं./S.No. | पुरस्कार/Prize | पुरस्कारों की संख्या/Number of prizes | पुरस्कार राशि/Prize amount(₹) |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रथम/First | 02 | 5000/- प्रत्येक/each |
| 2. | द्वितीय/Second | 03 | 3000/- प्रत्येक/each |
| 3. | तृतीय/Third | 05 | 2000/- प्रत्येक/each |

इस योजना के अन्तर्गतप्रतिभागिता हेतु निम्नलिखित विहित प्रपत्र में रिकॉर्डरखा जाना अपेक्षित है -
The record in the following prescribed proforma is required to be maintained for participation under this scheme -

**वर्ष के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में किए जाने वाले टिप्पण-आलेखनके रिकॉर्ड का प्रोफॉर्मा**
**Proforma of the record of the noting-drafting to be done by the officers/employees during the**

**year**

**योजना अवधि/Scheme period** : ____________

आवेदक का नाम/Name of the applicant :

पदनाम/Designation :

कर्मचारी संख्या/Employee number :

मातृभाषा/Mother tongue :

| क्र.सं. S.No. | तिथि Date | हिंदी में किए गए कार्य की फाइल एवं रजिस्टर संख्या Filea n d Register no. of Hindi work | हिंदी में लिखे टिप्पण/आलेखन के शब्दों की संख्या No. of words in Hindi noting/drafting | हिंदी में किए गए अन्य कार्य Other works in Hindi | | नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार) Signature of controlling authority (Once in a week) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | विवरण Details | शब्दों की संख्या No. of words | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के लिए समिति द्वारा 70% अंक हिंदी कार्य की मात्रा के आधार पर तथा शेष 30% अंक विचारों की स्पष्टता, आवेदन के साथ संलग्न रिकॉर्ड के संरूप, संलग्न नमूनों व रिकॉर्ड में उल्लिखित दस्तावेजों के निरीक्षण, टिप्पण की गुणवत्ता, कार्य की प्रकृति, वर्तनी, हिंदी शब्दावली का प्रयोग, टिप्पण-आलेखन की विविधता आदि के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर दिए जाएंगे। अन्य निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेंगी।

For the evaluation of the applications, committee will award 70% marks on the basis of the quantity of Hindi work and remaining 30% marks will be awarded on the basis of comparative study of the clarity of thoughts, format of the record attached with the application, inspection of the samples attached and documents quoted in the record, quality of noting, nature of work, grammar, use of Hindi vocabulary, variety in noting-drafting etc.Other terms and conditions will be as per instructions issued from time to time.

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने वर्ष 2023-24 में इस प्रोत्साहन योजना में भाग लिया है, उनसेअनुरोध है कि वे उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने रिकॉर्ड सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय की राजभाषा शाखा को 05जुलाई 2024 तक अवश्य भेज दें। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

The officers/employees who have participated in the scheme in year 2023-24, are requested to submit their record countersigned by controlling authority in the official language branchupto 05$^{th}$July2024. The applications received after the lastdate will not be considered.

वर्ष 2024-25 में भाग लेने के इच्छुक कार्मिकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप अपना रिकॉर्ड रखें।

The employees willing to participate in 2024-25 are requested to maintain their record as per above instructions.

Signed by Dhanasekaran
Lakshmanan
Date: 12-06-2024 19:45:02

**चिकित्सा अधिकारी**

सेवा में,

सभी कर्मचारी ।